ऑन लाईन नं.GCMS2022/283

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 122/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** —(विक्रेता)—
मै0 आनन्द फूडस, एफ–105ए उद्योग विहार, श्रीगंगानगर।
2. श्री चरन आसीजा पुत्र श्री देशराज आसीजा —(मालिक)—
मैसर्सः— आनन्द फूडस, एफ–105ए उद्योग विहार, श्रीगंगानगर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय दिनांकः 02.02.2024

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांक– आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्रीलक्ष्मीकान्ता गुप्ता , तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.03.2022 को समय दोपहर पूर्व 11.00 ए.एम. **मै. आनन्द फूडस, एफ–105 ए उद्योग विहार , श्रीगंगानगर** पहुंचे। मौके पर विक्रेता व मालिक **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** को अपना परिचय देकर संस्थान में ड्रम में रखा खाद्य पदार्थ **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा प्रतिष्ठान के अन्दर 1–1 किलोग्राम के 15 गत्ते के कार्टुन रखें थे व प्रत्येंक कार्टुन में 1–1 किलोग्राम के 12 डिब्बे खाद्य पदार्थ **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** को आमजन के विकय वास्ते होना बताया। **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एव मालिक **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2022/283

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** 1–1 किलोग्राम के 4 पैक डिब्बो को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा खाद्य पदार्थ **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 480/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** 1–1 किलोग्राम के चारो मूल पैक डिब्बो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1477** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1477** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की एव शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक -LS511 Act 2022 511 Dated 08-04-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1477 **Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** मैसर्स **श्री आनन्द फूडस, एफ–105 ए उद्योग विहार , श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर के **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1477** जांच रिपोर्ट क्रमांक :- L.S.511/Act/2022/511 Dated 08-04-2022 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** बाजार से क्रय किया जाता है। दिनांक 24.03.2022 को मेरी दुकान से **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** का सैम्पल लिया गया था। जिसकी जांच में **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** मिसब्राण्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा बाजार में उपलब्ध **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** को खरीदकर विक्रय किया जाता है। प्रार्थी भविष्य में **मिक्स आचार (ओम ब्राण्ड)** खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृप्या प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम आर्थिक दण्ड लगाने की कृप्या करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Mix Pickle (Om brand)" bearing Code No and Sr. No. K-1477, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food safety and Standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 12,000.00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **ओमप्रकाश आसीजा पुत्र श्री देसराज आसीजा** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द्र कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)